The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 4 | April 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

UPA और NDA के कार्यकाल में लागू हुए अध्यादेशों की संवैधानिक महत्वता, विधायी शक्ति: एक तुलनात्मक अध्ययन

प्रो0 मृदुला शारदा

राजनीति विज्ञान विभाग, CUHP धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

अरुण कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

अध्यादेश, अध्यादेश का इतिहास, संविधान में अध्यादेश, अध्यादेश की महत्वता, NDA, UPA, राज्यपाल व राष्ट्रपति

ABSTRACT

यह शोध पत्र मुख्य रूप से "मनमोहन सिंह" और "नरेंद्र मोदी" के नेतृत्व में NDA व UPA गठबंधनात्मक प्रणाली के दौर में लागू हुए अध्यादेशों के तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ा है। शोधार्थी ने अध्यादेशों से संबंधित विवादों के कारणों, भारत में गठबंधन सरकार की बढ़ती लोकप्रियता, संसदीय गठन के बदलते स्वरूप और अध्यादेशों की संख्या में वृद्धि से विधायी प्रक्रिया व भारतीय प्रजातन्त्र पर पढ़ रहे नकारात्मक प्रभावो का गहन अध्ययन किया है। साथ ही यह भी खोजने की कोशिश की है कि क्या संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के स्वरूप का, कानून निर्माण और अध्यादेश पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है?

भूमिका (Introduction)

जब संसद का सत्र न चल रहा हो या किसी विशेष परिस्थिति में जब राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कानूनों का निर्माण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को अध्यादेश कहा जाता है। (बसु आ. द., 2020) "ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के अनुसार अध्यादेश शाही विशेषाधिकार के तहत लागू किए गए कानूनों का रूप है।" (Shubhankar, 2014) दुनिया में केवल तीन संसदीय लोकतंत्रिक देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही हैं जो अध्यादेश के द्वारा कानून के निर्माण की अनुमति देते हैं (www.hindustantimes.com, 2020) भारत में अध्यादेश को अस्थाई तौर पर लागू किया जाता है जिसकी अधिकतम अवधि 6 सप्ताह होती है। (Sahay, 2021) लेकिन इन 6 सप्ताहो की गिनती का आरंभ अंतिम सत्र के बाद ही होता है अतः अध्यादेश की अधिकतम अवधि साढ़े सात महीने होती है। (India, 2015) लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार अध्यादेश की अवधि खत्म होने से पहले उसे अधिनियम में भी बदल सकती है लेकिन उस अध्यादेश को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अर्थात संविधान में लिखित विधायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिस तरह सामान्य कानून बनाए जाते है। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि कहे या फिर उस समय की परिस्थितियाँ कहे, वे जानते थे कि भविष्य में ऐसी विकट परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है जिस पर तुरंत कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक हो। (Panto, nov 2022) यही कारण था कि अध्यादेश को भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था का प्रमुख भाग बनाने का डॉ बी आर अंबेडकर ने समर्थन किया था, उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग केवल आपातकाल के मामले में ही किया जाना चाहिए। (economictimes, 2013) आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जब भारतीय संसद को तुरंत कानून निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के लिए 1947-48 में भारत-पाक युद्ध, 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध, केंद्र व राज्य में गठबंधनात्मक व्यवस्था का उदय, 1991 और 2008 में आई आर्थिक मंदी, के अलावा अपराध, साइबर क्राइम और आतंकवाद आदि। इसी तरह की विकट परिस्थिति हमें 2019 में तब देखने को मिली जब पूरी दुनिया में

(Covid-19) करोना महामारी फैली जिसके कारण लॉकडाउन लगाया गया और लोगों की प्रत्येक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सब प्रकार की गतिविधियाँ प्रभावित हुई। इससे संसद और विधानसभा के सत्र भी कम हो गए और विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कानून का निर्माण कठिन हो गया। उदाहरण के लिए 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था और प्रथम अध्यादेश 31 मार्च को लाया गया था (theprint.in, 2020)। 24 जून 2020 तक सरकार ने मत्रियों के वेतन भत्तों में कमी से लेकर, टैक्स प्रणाली के पुराने कानूनों में सुधार, स्वास्थ्य कर्मियों व उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और किसान संबंधित तीन अध्यादेशों सहित कुल 11 अध्यादेशों पास किये। (prsindia.org, 2019) इससे अध्यादेश की व्यवस्था की महत्वता का पत्ता चलता है। संविधान निर्माता इस प्रक्रिया से कानूनों के निर्माण के नकारात्मक प्रभाव से भी परिचित थे अत: उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान भी किए, जिससे इस प्रक्रिया द्वारा कानूनों का निर्माण कम से कम किया जा सके और प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुसार भारत में विधान निर्माण की व्यवस्था कार्यान्वित रहे (Department, 2015)।

अध्यादेश का इतिहास

मध्यकालीन ब्रिटेन में कानून बनाने का अधिकार सम्राट के पास था 14 वीं शताब्दी के आस-पास सम्राट ने महत्वपूर्ण कानून के निर्माण के किए सलाहकारों को सहायता लेनी आरंभ की(Shubhankar, 2014)। जब कानून निर्माण में सलाहकारों, क्राउन, पादरियों और कामन्स (संसद) की भागीदारी अत्यधिक बढ़ गई तो सम्राट व इन लोगों (संसद) में विवाद होना आरंभ हो गया। तब सम्राट ने विधायी उपवाद की अनिश्चित मात्रा का दावा किया जिसमें संसद से अलग सम्राट को स्वतंत्र रूप में कानून बनाने का अधिकार था(Shubhankar, 2014)। विवाद का दूसरा कारण अध्यादेश को अस्थायी और अधिनियम को स्थायी मानना था क्योंकि समय के साथ-साथ अध्यादेश भी स्थायी हो रहे थे। उदाहरण के लिए मैग्ना कार्टा (1215) एक अध्यादेश था जो बाद में मौलिक अधिकारों का कानून बना। (Shubhankar, 2014) भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा

चार्टर (अध्यादेश) के माध्यम से ही शासन चलाया जा रहा था। ब्रिटिश राज के समय अध्यादेश को पारित करने की शक्ति भारत के गवर्नर जरनल और राज्यों के गवर्नरों के पास थी। ये शक्ति उन्हे सर्वप्रथम 1915 के गोरवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की धारा 72 के माध्यम से दी गई थी। (Pantho, 2023) बाद में 1935 के एक्ट में राज्यों के गवर्नर जरनल को अस्थायी अध्यादेश बनाने की विवेकशील शक्ति दी थी। (बसु आ. द., 2020) जिस कारण यह प्रक्रिया और अधिक विवादित हो गई थी। आजादी के बाद कुछ भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया था कि अध्यादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा और विदेशी अवशेष का एक उदाहरण है। वहीं कुछ सदस्यों का मानना था कि अध्यादेश का प्रयोग राज्य में राज्य मशीनरी के टूटने व भारत की सुरक्षा उपाय के रूप में ही किया जाएगा। संविधान निर्माताओं ने अध्यादेश में निहित विवादों से बचने के लिए इसमें अनेक बदलाव करके इसे देश की जरूरतों के अनुसार लागू किया। (prsindia.org, 2014)

भारतीय संविधान में अध्यादेश की व्यवस्था-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 (1) और 213 में कहा गया है कि जब क्रमशः संसद व विधानसभा का सत्र न चल रहा हो या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हो जिसके लिए तत्काल कार्यवाई करना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति देश के लिए और राज्यपाल राज्य के लिए मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। (Rao, 2021) कई विषयों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। अगर राज्यपाल संविधान में लिखित राज्यों के विषय के बाहर अध्यादेश लागू करता है तो वह कानून शून्य हो जाता है।

अध्यादेश की संवैधानिक महत्वता

हम भारतीय संविधान में अध्यादेश की महत्वता का अंदाज इस बात से लगा सकते है कि आजादी के बाद अनेक ऐसे अध्यादेश लागू किए गए है उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अध्यादेश 1957, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1958, प्रेस परिषद संशोधन अध्यादेश 1974, आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश 1975, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद क्षेत्र अर्जन अध्यादेश 1990 और उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अध्यादेश 1991 जिन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

RESEARCH METHODOLOGY-

यह अध्ययन द्वितीय स्त्रोतों पर आधारित शोध पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्रों, आनलाइन सरकारी व गैर सरकारी वेबसाईट के डाटा के विश्लेषण के द्वारा किया गया है। जिसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करके NDA और UPA की गठबंधनात्मक प्रणाली के दौर में लागू हुए अध्यादेशों का गहराई से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

RESEARCH QUESTION-

1. क्या भारत में तेजी से गठबंधन सरकार की बढ़ती लोकप्रियता और अध्यादेश की संख्या में वृद्धि से भारतीय प्रजातन्त्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ?
2. क्या संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के स्वरूप काकानून निर्माण और अध्यादेश पर प्रत्यक्ष या , परोक्षरूप से प्रभाव पड़ता है?
3. क्या संसदीय गठन के बदलते हुए स्वरूप ने संसद की भूमिका पर अहम प्रभाव छोड़े हैं जो अध्यादेशों की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार है?

4. क्या अध्यादेश का प्रयोग मनमाने कानूनों को लागू करने के लिए किया जा सकता है जिससे संविधान का ऊलँघन हो ?

साहित्य का पुनरावलोकन

(Shubhankar, 2014) ने अपनी पुस्तक **'Presidential Legislation in India the law and practice of ordinance'** में अध्यादेश के इतिहास, ब्रिटिश भारत में लागू किए गए अध्यादेश, 1947 के बाद भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों का गहराई से वर्णन किया गया हैं। इसमें व्यापक तौर पर तीन प्रश्न उठाए गए है प्रथम अध्यादेश का आरंभ कैसे हुआ दूसरा यह कैसे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का हिस्सा बना और तृतीय अब तक इसका उपयोग कैसे किया गया है? (काश्यप, 1995) ने अपनी पुस्तक **'हमारा संविधान'** में भारत के संविधान के सम्पूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन किया हैं। अनुच्छेद 123 के संदर्भ में कहा गया है कि आरंभ राष्ट्रपति अध्यादेश इसलिए विवादित था क्योंकि यह किसी भी प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर था। जिस कारण अनेक बार राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई। अब कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में कहा गया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने कि शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। (Bhardwaj, 2021) अपने रिसर्च वर्क **An Analysis of the Power to Issue Ordinance in India** में कहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश विधायी शक्तियों का एक अत्यंत विवादास्पद विकल्प हैं जिसका प्रयोग विपरीत परिस्थितियों में किया जाना चाहिए हालांकि अनेक बार दुरूपयोग भी हुआ है। इन्होंने अध्यादेश के इतिहास सहित, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में लिखित नियमों और न्यायपालिका के स्वतंत्र दृष्टिकोण के विकास का वर्णन किया है। (Garg, 2022) शोधकर्ता ने अपने पेपर **'A Critical Overview of Ordinance Making Power'** में लिखा है कि कई बार अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग संविधान में निहित विधायी

प्रक्रिया को खत्म करने के लिए किया जाता है इसमें अध्यादेश की प्रकृति और अध्यादेश का प्रावधान हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर गहराई से विचार किया गया है। और इस शोध पत्र में अध्यादेश की कमियों को खोजकर उनका हल निकालने का प्रयास किया गया है। ताकि इसके दुरूपयोग से बचा जा सके। (Chaurasia & Pgrawal, june 2022) ने अपने रिसर्च पेपर **'Re-Promulgation of Ordinances: Violation of the Spirit of the Constitution?'** में 1947 के बाद वर्तमान तक केंद्र में अध्यादेशों की बढ़ती संख्या सहित अध्यादेश को कार्यपालिका द्वारा फिर से जारी करने जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने कृष्ण कुमार सिंह व बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को फिर से लागू करने को गलत बताया था। इसके साथ इस शोध पत्र में अध्यादेश के संदर्भ में संवैधानिक चुनौतियों का हल तलाशने का भी प्रयास किया गया हैं।(Appaiah, 2008) ने अपने शोध पत्र **'Coalition Government in India NDA Vs UPA'** में 1990 के बाद भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुए बहुदलीय एक गठबंधन प्रणाली का गहन विश्लेषण किया है। इस शोध पत्र में मुख्यतः कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित NDA और कांग्रेस के नेतृत्व में गठित UPA की सफलता इस बात को चुनौती देती है कि गठबंधन आम तौर पर अस्थिर होते है। लेखक ने लिखा है कि अनेक कमियों के बावजूद गठबंधन लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते है। इस साहित्यक अवलोकन में शोधार्थी ने यह देखा है कि अध्यादेश व्यवस्था की गतिशीलता और इसका बढ़ता हुआ प्रचलन वर्तमान समय में संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। इस शोध पत्र में शोधार्थी इसके अंतर को शोध में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

भारतीय संसदीय शासन प्रणाली व अध्यादेश

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की जरूरतों, यहाँ की संस्कृति, धर्म, विश्वास और अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यपालिका को

अस्थाई कानून बनाने का अधिकार दिया। संविधान के लागू होने से मई 2021 तक संसद ने कुल 713 अध्यादेश पास किए हैं। (PRS, 2014) अगर हम व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किए गए अध्यादेशों को देखे तो जवाहरलाल नेहरू के 12 साल के कार्यकाल में 66, इन्द्रा गांधी की 5वीं लोकसभा में 99 व कुल 16 साल के कार्यकाल में 209, और नरसिंह राव के 5 साल के कार्यकाल में 108 अध्यादेश लागू किए गए है (सचिवालय, 2015)। इसी तरह दशकीय अध्यादेशों में 1952 से लेकर 1959 तक 52, 1960 से लेकर 1969 तक 67, 1970 से लेकर 1979 तक 135, 1980 से लेकर 1989 तक 93, 1990 से लेकर 1999 तक 196, 2000 से लेकर 2009 तक 72 और 2009 से लेकर 2019 तक 101 अध्यादेश लागू किए गए हैं। (सचिवालय, 2015) दशकीय वृद्धि और व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के कार्यकाल का विश्लेषण करके यह साफ देखा जा सकता है कि जब संसद में गठबंधन की सरकार बनती है या राज्यसभा में उस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता जिसकी लोकसभा सरकार होती है तो अध्यादेशों की संख्या बढ़ जाती है।

PROMULGATION ORDINANCE

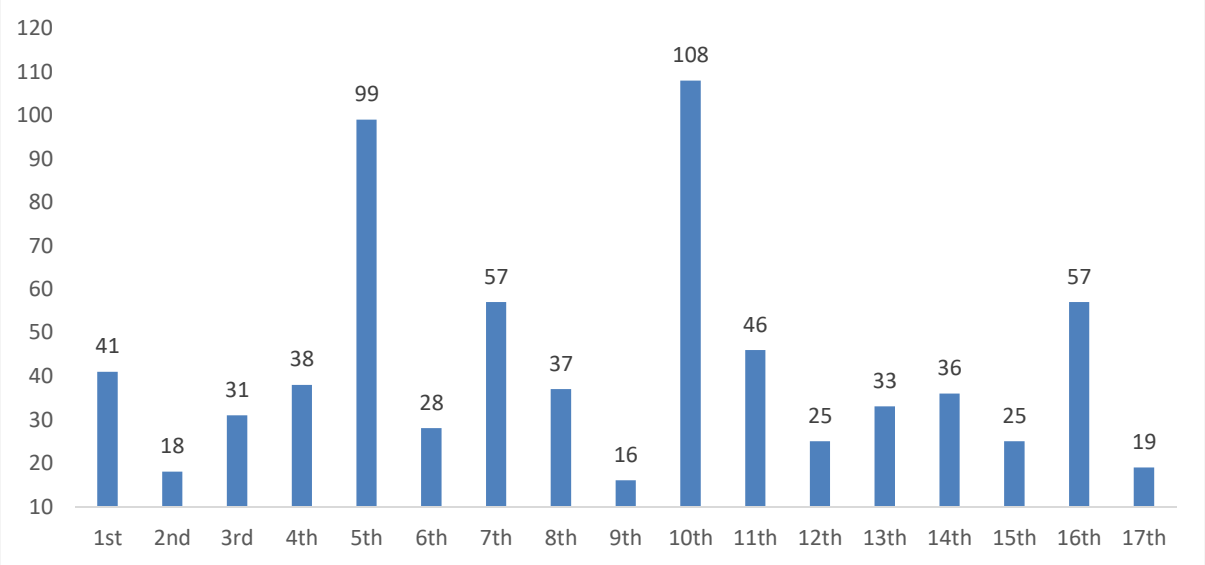

https://prsindia.org/parliamenttrack/vital-stats/70-years-of-parliament

अध्यादेशों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण संसदीय शासन प्रणाली का पतन है जिसका आरंभ 1960-70 के दशक के बाद भारत में आपराधिक नेताओं की राजनीति में भागीदारी का बढ़ना था ,1990 के बाद यह समस्या अपने चरम पर थी। जिस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में यह फैसला दिया कि चुनाव से पहले सभी उमीदवारों को अपनी सम्पति और उन पर चल रहे आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करना होगा।में 2004 प्रतिशत 24 लोकसभा के सांसद और प्रतिशत 43 में 2019सांसद पर आपराधिक मुकद्दमे दर्ज है (adrindia.org, 2019)। गंभीर आपराधिक सांसदों का आंकड़ा भी प्रतिशत से बढ़ कर 12 में 2004 प्रतिशत हो गया है। 29 वर्तमान समय में

CRIMINAL IN LOKSABHA

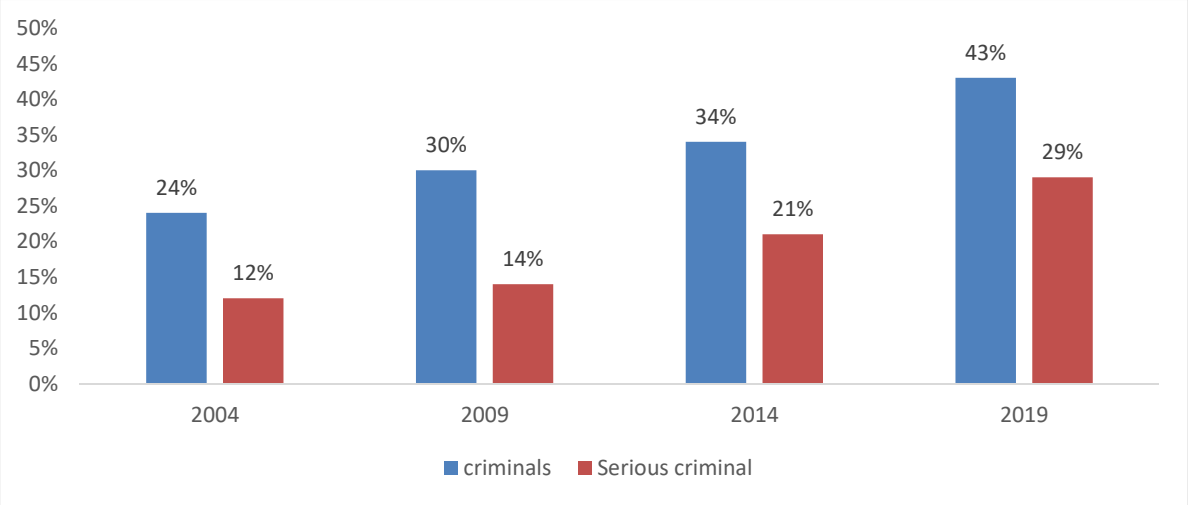

(www.boomlive.in, 2004)

इसका दूसरा मुख्य कारण लोकसभा की बैठके का कम होना है 1952 से 2000 तक औसत 121 दिन बैठके होती थी, वहीं 2000 से लेकर वर्तमान समय में इसकी औसत कम होकर 68 दिन हो गई है। सबसे ज्यादा बैठके पहली लोकसभा में 677 दिन और सबसे कम 16वीं लोकसभा में 331 दिन हुई है (indianexpress.com, 2023)। 17वीं लोकसभा का एक साल शेष है और इसकी हर साल में औसत

58 बैठके हुई है जिस से यह कहा जा सकता है कि 1952 के बाद यह सबसे कम बैठकों वाली लोकसभा होगी।

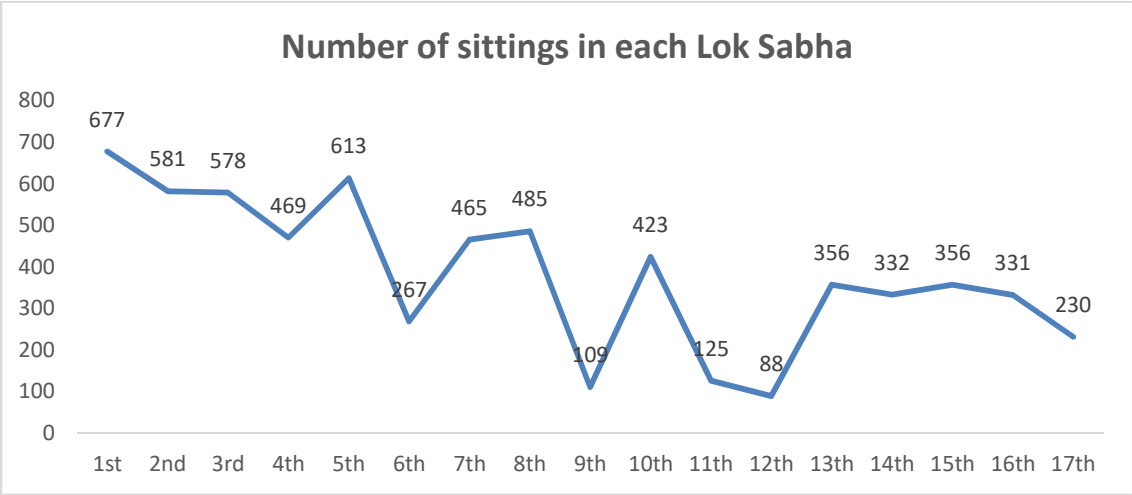

(thewire.in, 2023)

संसदीय शासन प्रणाली के पतन का तीसरा कारण संसद द्वारा कम अधिनियम पारित करना भी है। उपवाद के तौर पर अगर हम पाँच साल पूरा करने वाली सभी संसद में 8वीं लोकसभा को छोड़ दें, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा 355 विधेयक पारित किए है तो पिछले कुछ वर्षों के बाद संसद द्वारा विधेयक भी कम पारित किए जा रहे है सबसे कम विधेयक 15वीं लोकसभा द्वारा पारित किए गए है। अगर हम संसद द्वारा लागू किए गए अधिनियम और अध्यादेशों का तुलनात्मक अध्ययन करे तो भारतीय लोकतंत्र के पहले 30 वर्षों में, संसद में पेश किए गए प्रत्येक 10 विधेयकों पर एक अध्यादेश जारी किया जाता था। अगले 30 वर्षों में, अनुपात प्रत्येक 10 विधेयकों के लिए दो अध्यादेश था। 16वीं लोकसभा (2014-19) में, प्रत्येक 10 विधेयकों के लिए यह संख्या बढ़कर 3.5 अध्यादेश हो गई। मौजूदा लोकसभा में अब तक हर 10 विधेयक पर 3.3 अध्यादेश हैं (www.hindustantimes.com, 2020)।

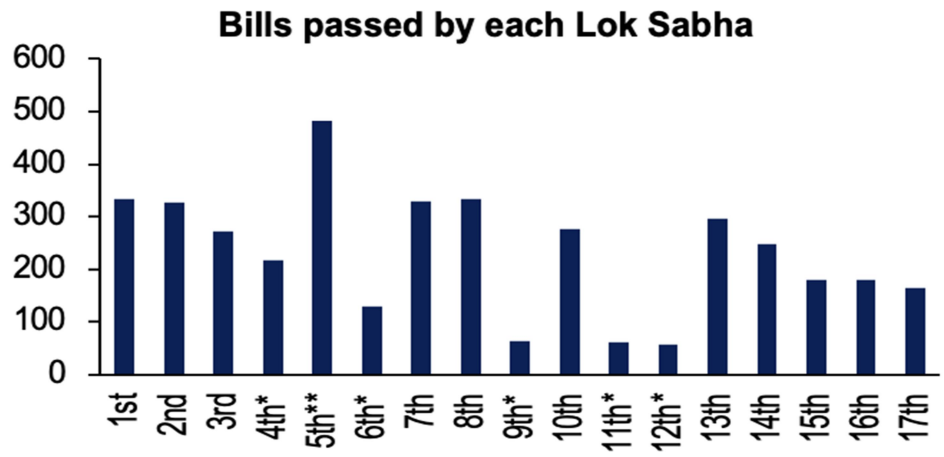

https://prsindia.org/parliamenttrack/vital-stats/70-years-of-parliament

1952 के बाद आरंभिक लोकसभा के कार्यकाल को छोड़ दे तो के बाद केन्द्रीय बजट पर चर्चा करने में 1980 लोकसभा द्वारा खर्च किए जाने वाले समय में भी लगातार गिरावट आ रही है। जिसका भारतीय लोकतंत्र व भारतीय संसदीय शासन प्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

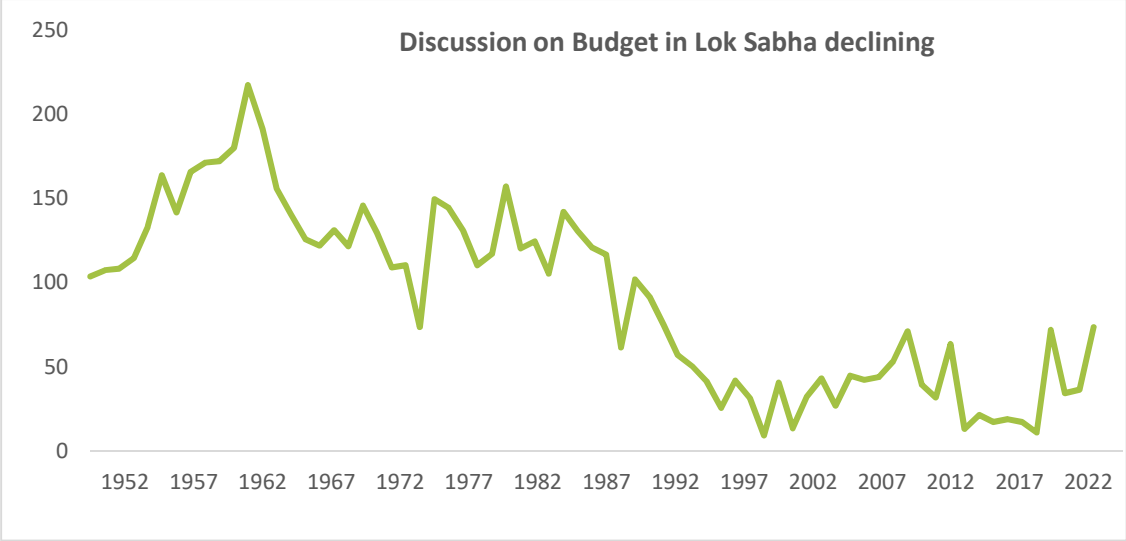

https://prsindia.org/parliamenttrack/vital-stats/70-years-of-parliament

स्वस्थ्य लोकतंत्र में चर्चापरिचर्चा को बहुत महत्व दिया जाता है ताकि कानूनों का निर्माण लोगों की इच्छाओं - और उनकी जरूरतों के हिसाब से किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर संसद के विधायी और वित्तीय कार्यों में सांसदों की सहायता करने के लिए में संसदीय स्थायी समिति का गठन में किया गया था। 1993 समितियाँ संसदीय शासन प्रणाली को मजबूत करने का मुख्य उपकरण है। इसका कार्य संसद द्वारा उस के पास भेजे गए बिलों कागहनता से अध्ययन करना होता है। के बाद संसद में पेश किए गए कुल बिलों में से 2004 45 केवल% बिल ही समितियों के पास भेजे गए हैं। वीं लोकसभा में बिल समितियों के पास 17 वीं और16 ओर कम भेजे गए हैं। यह ब्रिटेन जैसे अन्य संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के बिल्कुल विपरीत है जहां पर सभी बिल जांच के लिए समितियों के पास भेजे जाते है जो भारतीय संसद के पतन (धन विधेयक के अलावा) का मुख्य कारण है।

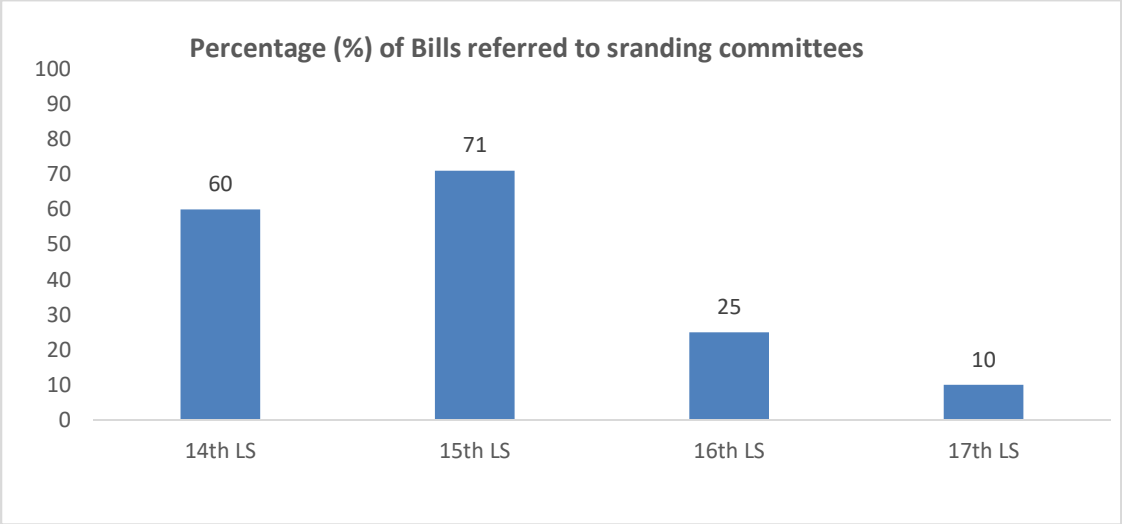

भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के पतन के अनेक कारणो की वजह से अध्यादेशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है (prsindia.org, 2014) उदाहरण के लिए बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने 18 जनवरी 1986 को एक दिन में 58 अध्यादेश जारी किए थे (दैनिक जागरण,

2023) और केरल की लेफ्ट डेमक्रैटिक सरकार ने 2021 में 144 अध्यादेश लागू किए है (thehindubusinessline, 2022)। अधिक अध्यादेशों के द्वारा कानूनों के निर्माण से मनमाने कानून को लागू करने की संभावना भी बढ़ जाती है उदाहरण के लिए देश के पाँचवे राष्ट्रपति फ़ाकरुद्धीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल में तात्कालिन प्रधानमंत्री इन्द्रा गांधी की सलाह पर आपातकाल के अध्यादेश को लागू किया था जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर शामिल किया जाता है (दैनिक जागरण, 2023)। इस घटना के बाद आपातकाल की प्रक्रिया को 44 संवैधानिक संशोधन के द्वारा ओर भी कठिन बना दिया गया था ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं भारतीय राजनीति में न हो। मनमाने कानून को लागू करने का एक और उदाहरण 2013 में यूपीए सरकार का वो अध्यादेश भी था, जिसका उद्देश्य 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को निष्क्रिय करना था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दो साल से अधिक जेल की सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और वो अगले 6 सालों में कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इस अध्यदेश का बीजेपी, लेफ्ट, सहित कई विपक्षी पार्टियों और खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना चाह रही है, इसलिए इस अध्यादेश को लाया गया है इसके बाद UPA सरकार ने उस अध्यादेश को वापिस ले लिया था (timesofindia, 2013) एक और उदाहरण केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार द्वारा 2020 में लागू किया गया अध्यादेश है जिस में पुलिस एक्ट की धारा 118(a) जोड़ने का प्रावधान था इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी तरह के आपत्तिजनक, अपमानजनक, धमकाने वाले या किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी पोस्ट सोशल मीडिया या संचार के किसी भी माध्यम द्वारा लिखता है तो, उसे 3 साल तक की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा देने का प्रावधान था। इसका इतना विरोध हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस कानून का विरोध करने वालों का कहना था कि यह संविधान की धारा 19(a) का ऊलँघन है जिससे हमें अभिव्यक्ति व बोलने की आजादी मिली है। उन्हे यह भी शक था

कि सरकार इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करेगी, जो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेगा या बोलेगा (timesofindia., 2020) इसके अलावा 2021 में केंद्र सरकार ने करोना काल में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तब 3 कृषि अध्यादेश लागू किए थे इन अध्यादेशों का भी बहुत विरोध हुआ था अंत में सरकार ने इन अध्यादेशों को वापिस ले लिया था (www.hindustantimes.com, 2020)। संसदीय शासन प्रणाली में बिना विधायी प्रक्रिया के कानून को लागू करना स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए लाभदायक नहीं है।

NDA (National Democratic Alliance) Coalition

NDA की स्थापना सन् 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई थी जिसमें 13 राजनीतिक दल थे। इसके प्रथम संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस थे (Parvathy, july 2008)। NDA की आरंभिक असफलता क्योंकि 1999 में AIADMK ने NDA सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया था जिस कारण श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था (Appaiah, 2008) के बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए तब फिर से श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी थी। जिसने केंद्र में अपने 5 साल (1999-2004) पूरे किए थे। इस कार्यकाल में आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 और परिसिमन संशोधन अध्यादेश 2003 सहित 33 अध्यादेश लागू किए गए हैं। 2004 लोकसभा के चुनाव में बेशक NDA को विपक्ष में बैठना पड़ा लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व बना रहा। भारतीय लोकतंत्र की निरन्तरता से समन्वय स्थापित करते हुए NDA से कुछ दलों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया, तो कुछ नए दलों ने NDA को अपना समर्थन दिया जो हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है। NDA ने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए "*dialogue, debate and discussion*" (Parvathy, 2008) और Common Minimum Programme (CMP) (Parvathy, 2008) के माध्यम से अपने गठबंधन में अनेक बदलाव किए है। 2014 लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को (282) और उनके सहयोगी दलों NDA को 334 सीटों के साथ अभूतपूर्व सफलता मिली।

(jagranjosh.com, 2014) 2019 में NDA द्वारा इस सफलता को फिर से दोहराया गया। भारतीय जनता पार्टी को 303 और NDA को 353 सीटें मिली। वर्तमान समय में न्यूनतम समस्याओं के बाद केंद्र में NDA का शासन सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी NDA के गठबंधन में 38 राजनीतिक दल हैं। (thehindu.com, 2023) नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 (www.jagran.com, 2016), आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2014, नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018, तीन तलाक संबंधी अध्यादेश 2019, GST संशोधन अध्यादेश 2019 और महामारी अधिनियम 1897 (संशोधन) अधिनियम अध्यादेश 2020, सहित 9 साल में कुल 76 अध्यादेश लागू किए जा चुके है।

UPA (United progressive alliance) Coalition

2004 लोकसभा चुनाव में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो कांग्रेस के नेतृत्व में UPA की स्थापना की गई थी। (jagran.com, 2023) इसमें 15 राजनीतिक दल थे। (timesofindia, 2006) कांग्रेस ने UPA में common minimum Programme (CMP) (Parvathy, 2008) के तहत ऐसे नियम बनाए जिससे वह सरकार का नेतृत्व सफलतापूर्वक कर सके। केंद्र में UPA अपने दो कार्यकाल (2004-2014) पूर्ण करने में सफल रहा। इस कार्यकाल में कांग्रेस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि 2006 में TRS-Telangana Rashtra Samiti (अब भारत राष्ट्र समिति) ने UPA से अपना समर्थन वापिस ले लिया था। (jagran.com, 2023) अगले साल DMK और 2008 में चार लेफ्ट पार्टीयों ने जिनकी कुल सीटें 59 थी उन्होंने USA के साथ हुए न्यूक्लियर डील के विरोध में UPA से अपना समर्थन वापिस ले लिया था। (indianexpress.com, 2023) लेकिन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थन देने के बाद केंद्र में UPA की सरकार केंद्र में बनी रही (jagran.com,

2023)। इसी समर्थन देने और समर्थन वापिस लेने की राजनीति का सामना करते हुए 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में UPA को 59 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। आजादी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस की यह सबसे शर्मनाक हार थी क्योंकि भारतीय संसदीय नियमों के अनुसार विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी के पास जो सरकार की सहयोगी नहीं है उसके पास 10% सांसद (55) होने चाहिए जो कांग्रेस के पास नहीं थे (timesofindia, 2014)। 2019 में कांग्रेस को कुल 52 सीटें और UPA को कुल 91 सीटें मिली। वर्तमान समय में विपक्ष की वही हालत है जो 1979s से 1989 तक थी क्योंकि उस समय भी कोई विपक्ष का नेता भारतीय संसद में नहीं था (timesofindia, 2014)। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में 17 व 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरू (कर्नाटक) में बैठक हुई जिसमें यह घोषणा की गई कि UPA का नाम INDIA अर्थात Indian National Development Inclusive Alliance होगा, जिसमें 26 पार्टियां सम्मलित है (thehindu.com, 2023) मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार ने नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यादेश 2006, केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश 2009, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अध्यादेश 2010 और खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 को मिलाकर कुल 61 अध्यादेश लागू किए हैं।

ANALYSIS

आजादी से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय लोकतंत्र की शानदार यात्रा में संसदीय शासन प्रणाली ने समस्याओं का सामना किया है जिससे शोधार्थी को भारतीय संसदीय गठन के स्वरूप में अनेक बदलाव देखने को मिले है इन बदलावों ने भारतीय संसद की भूमिका पर अहम प्रभाव छोड़े हैं। शोधार्थी गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अध्यादेशों की संख्या में बढ़ोतरी के अनेक कारण होते है जिसमें से हम भारतीय संसदीय गठन के बदलते स्वरूप को एक कारण मान सकते है। 1947 के बाद कई वर्षों तक अनेक विधानसभाओ और लोकसभाओ पर काग्रेस का एकछत्र राज रहा है जिसे कई लोग एक दलीय प्रभुत्व शासन

प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। 1967 के बाद राज्य की अनेक विधानसभा में लोगों ने कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों को बहुमत दिया जिस की शुरुआत 1957 से तब हुई जब केरल में सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक तरीके से कॉम्युनिस्ट सरकार चुनी गई, यहीं से हमे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलाता है। 1977 में एक दलीय प्रभुत्व शासन प्रणाली की जगह संसद में गठबंधन या त्रिशंकु सरकार का निर्माण हुआ धीरे-धीरे गठबंधन या त्रिशंकु सरकारो को लोकप्रियता मिली और अनेक राज्य में भी गठबंधन या त्रिशंकु सरकारो का निर्माण होने लगा जिसमें अनेक विचारधारा के राजनीतिक दल होने के कारण सरकार को चलाने में हमेशा मतभेद बने रहते हैं। इस तरह की सरकार में ना तो मजबूती होती है और ना ही स्थिरता, कोई भी पार्टी किसी भी समय सरकार से अपना समर्थन वापिस ले सकती है जिसके कारण सरकार गिर जाती है और फिर से नए चुनाव करवाने पड़ते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे सेंकड़ों उदाहरण है जिसमें अनेक विधानसभाएं और लोकसभाएं अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। जिसका प्रभाव विधायी प्रक्रिया और अध्यादेशीय व्यवस्था पर पड़ा है उदाहरण के लिए आजादी के बाद संपूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाली गठबंधनीय लोकसभा का हम विश्लेषण करें तो पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने सबसे ज्यादा 108, अटल बिहारी बाजपेयी की NDA सरकार ने 33, मनमोहन सिंह की UPA-1 सरकार ने 36 और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली प्रथम NDA ने 57 अध्यादेश पारित किए हैं। UPA दूसरी सरकार ने साल 2013 में 11 अध्यादेश लागू किए जो 2001 के बाद हर साल लागू किए गए अध्ययदेशों में सबसे अधिक है। (economictimes, 2013) वहीं NDA सरकार ने UPA सरकार की तुलना में ज्यादा अध्यादेश लागू किए है। जो इस बात का उदाहरण है कि गठबंधनात्मक शासन प्रणाली में कानून बनाने के लिए अधिक से अधिक अध्यादेशों का सहारा लेना पड़ता है इससे भारतीय लोकतंत्र को काफी नुकसान हुआ है। हम गठबंधनात्मक प्रणाली के दूसरे पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते है क्योंकि एक सामंती, राजतंत्रिक, निरंकुश, सैनिक, तानाशाह सरकार और सरकार न होने (अराजक स्थिति) से कई गुणा अच्छा है कि एक गठबंधनात्मक सरकार हो। भारतीय संसदीय शासन

प्रणाली में अनेक राजनीतिक दलों के अनेक अस्थिर गठबंधन की जगह अनेक राजनीतिक पार्टियों के दो स्थिर गठबंधन का निर्माण किया है इस मल्टी पार्टी एक गठबंधन के परिणाम स्वरूप अटल बिहारी बाजपेयी की NDA सरकार (1999-2004), मनमोहन सिंह की UPA प्रथम और द्वितीय सरकार (2004-2014) जिस में एक भी पार्टी को बहुमत न होने के बावजूद उस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है लेकिन फिर भी गठबंधनात्मक शासन प्रणाली में हमेशा अस्थिरता का डर बना रहता है जिसके प्रत्युत्तर में गठबंधन के नेतृत्वकर्ता को दबाव में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है यह एक सुंदृढ़ सरकार की निशानी नहीं है। 2019 के बाद अध्यादेशों को लागू करने की संख्या में कमी भी आ रही हैं उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति के इतिहास में, 1963 के बाद 2022 में कोई भी अध्यादेश लागू नहीं किया गया है (thehindubusinessline.com, 2023)। प्रत्येक सरकार के कार्यकाल में लागू किए गए अध्यादेशों के कारण अलग-अलग होते हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अध्यादेशों की संख्या तभी बढ़ती है जब गठबंधन की सरकार होती है क्योंकि लोकसभा में जब एक दल प्रभुत्व वाली सरकार थी तब भी कई बार अधिक अध्यादेश लागू किए गए है उदाहरण के लिए इन्द्रा गांधी ने 5वीं लोकसभा के कार्यकाल (1971-77) में 99 और राजीव गांधी की 7वीं लोकसभा ने 57 अध्यादेश लागू किए थे अतः हम यह कह सकते है कि गठबंधनात्मक सरकार, संसदीय शासन प्रणाली के पतन और अन्य कारणों के परिणामस्वरूप अध्यदेशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के बदलते स्वरूप के कारण विधायी प्रक्रिया व अध्यादेशों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है क्योंकि भारतीय राजनीति में अनेक उदाहरण मौजूद है जब एक वर्ष में कई बार अधिक तो कई बार कम अध्यादेश लागू किए गए है। अगर कार्यपालिका अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद कानून को फिर से बार-बार अध्यादेश के माध्यम से लागू करती है या संसदीय नियमों को नजरअंदाज करके जाने-अन्जाने में मनमाने कानूनों को लागू करने के लिए अत्यधिक अध्यादेश का सहारा लेती

है तो इससे संविधान का उल्लंघन होता है। जो भारतीय राजनीति और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के लिए फायदेमंद नहीं है।

Findings:

1. भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में अध्यादेशों में बढ़ोतरी एक दलीय प्रभुत्व और गठबंधनात्मक सरकार दोनों के कार्यकाल में हुई है।
2. संसदीय शासन प्रणाली के पतन और गठबंधनात्मक शासन प्रणाली की अस्थिरता के कारण संसद की कार्यपालिका को अधिक अध्यादेशों का सहारा लेना पड़ता है।
3. अत्यधिक अध्यादेश लागू करने से और एक अध्यादेश को बार-बार लागू करने से संविधान का ऊलंघन होता है।
4. संसदीय गठन के बदलते स्वरूप और गठबंधनात्मक शासन प्रणाली के उदय ने संसद की भूमिका पर अहम प्रभाव छोड़े है।
5. कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश को अधिक मात्रा में लागू करने से मनमाने कानून के निर्माण की संभावना बढ़ जाती है।

Suggestions:

1. वर्तमान समय में सोशल मीडियाइंटरनेट और संचार के अनेक माध्यम उपलब्ध है जिसका प्रयोग करके , संसदीय कार्यपालिका को अध्यादेश लागू करते समय कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों से बातचीत करनी चाहिए ताकि अध्यादेश द्वारा मनमाने कानून को लागू करने की संभावना को कम किया जा सके।

2. संसद की कार्यपालिका को जब संसद का सत्र न चल रहा हो या आपातकालीन स्थिति होतभी , अध्यादेश लागू करने चाहिए। अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद अध्यादेश को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से लागू करना चाहिए।
3. संसद का पतनअध्यादेशों की ब ,ढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण है जिस पर नियंत्रण करके अध्यादेश की बढ़ती संख्या भी कम की जा सकती है इससे भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
4. गठबंधनात्मक शासन प्रणाली में सुधार और स्वस्थ्य संसदीय परंपरा के विकास को बढ़ावा देकर संसद अध्यादेश की बढ़ती मात्रा को कम कर सकती है।
5. विरोधी दलों को संसद में अपनी भूमिका नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में भी निभानी चाहिए।

References

(2019, Feb 15). Retrieved from prsindia.org: https://hi.prsindia.org/articles-by-prs-team/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%9C

adrindia.org. (2019, JUNE 18). Retrieved from https://adrindia.org/content/43-newly-elected-lok-sabha-mps-face-criminal-charges-report

Appaiah, P. (JULY 2008). Coalition Government in India. NDA Vs UPA. *Australian Political Studies Association Conference.* Brisbane, Australia.

Bhardwaj, C. M. (2021). An Analysis of the Power to Issue Ordinance in India. *Statute Law Review*.

Bhardwaj, C. M. (2021). An Analysis of the Power to Issue Ordinance in India. *Statute Law Review,*, 306.

Bhardwaj, C. M. (2021). An Analysis of the Power to Issue Ordinance in India. *Statute Law Review*.

Chaurasia, d., & Pgrawal, P. (june 2022). Re-Promulgation of Ordinances: Violation of the Spirit of the Constitution? *Jus Corpus Law Journal*.

Chaurasiaa, D., & Agarwalb, P. (JUNE 2022). Re-Promulgation of Ordinances: Violation of the Spirit of the Constitution? *Jus Corpus Law Journal*, 122-123.

DEPARTMENT), G. O. (NOV 2015). *the constituion of india.* NEW DELHI: JAINCO ART INDIA.

economictimes. (2013, Oct 6). Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/abuse-of-an-emergency-measure-upa-ii-issues-11-ordinances-in-2013-highest-in-a-decade/articleshow/23591937.cms?from=mdr

economictimes. (2013, OCT 16). Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/abuse-of-an-emergency-measure-upa-ii-issues-11-ordinances-in-2013-highest-in-a-decade/articleshow/23591937.cms?from=mdr

GARG, S. (2022). A Critical Overview of Ordinance Making Power. *International Journal of Law Management & Humanities, 5*(2), 882 - 891.

INDIA, G. O. (NOV 2015). *THE CONSTITUTION OF INDIA.* NEW DELHI: JAINCO ART INDIA.

indianexpress.com. (2023, APRIL 8). Retrieved from https://indianexpress.com/article/political-pulse/parliament-productivity-lok-sabha-8543527/

indianexpress.com. (2023, JULY 21). Retrieved from https://indianexpress.com/article/explained/explained-how-left-opposed-india-us-nuclear-deal-leading-to-split-with-upa-govt-7440555/

jagran.com. (2023, july 18). Retrieved from https://english.jagran.com/politics/upa-renamed-india-decision-taken-in-joint-opposition-meet-bengaluru-specials-10088539

jagran.com. (2023, JULY 18). Retrieved from https://english.jagran.com/politics/upa-renamed-india-decision-taken-in-joint-opposition-meet-bengaluru-specials-10088539

jagranjosh.com. (2014, may 19). Retrieved from https://www.jagranjosh.com/current-affairs/an-analysis-of-the-voters-behaviour-in-16th-lok-sabha-election-2014-1401962984-1

MISHRA , S. (2023, april 9). *दैनिक जागरण*. Retrieved from jagran.com:

https://www.jagran.com/news/national-what-is-an-ordinance-in-what-situations-the-government-uses-it-president-plays-an-important-role-23389974.html

MISHRA , S. (2023, april 19). *दैनिक जागरण*. Retrieved from jagran.com:

https://www.jagran.com/news/national-what-is-an-ordinance-in-what-situations-the-government-uses-it-president-plays-an-important-role-23389974.html

Pantho, A. F. (2023). Law making through Ordinance: Legislating for Justice, or a Safe Avenue for Colorable Legislation?

Panto, F. a. (nov 2022). Law making through Ordinance: Legislating for Justice, or a Safe Avenue for.

Parvathy, A. (july 2008). Coalition Government in India. NDA Vs UPA. *Australian Political Studies Association Conference*, (p. 3). Brisbane, Australia.

Parvathy, A. (july 2008). Coalition Government in India. NDA Vs UPA. *Australian Political Studies Association Conference*, (p. 5). Brisbane, Australia.

Parvathy, A. (july 2008). Coalition Government in India. NDA Vs UPA. *Australian Political Studies Association Conference*, (p. 7). Brisbane, Australia.

Parvathy, A. (JULY 2008). Coalition Government in India. NDA Vs UPA. *Brisbane, Australia*, (p. 5). Brisbane, Australia.

PRS Legislative Reseach. (2014, april 21). Retrieved from https://prsindia.org/theprsblog/ordinances-promulgated-during-different-lok-sabhas

prsindia.org. (2014, april 21). Retrieved from https://prsindia.org/theprsblog/ordinances-promulgated-during-different-lok-sabhas

prsindia.org. (2014, april 21). Retrieved from https://prsindia.org/theprsblog/ordinances-promulgated-during-different-lok-sabhas

prsindia.org. (2014, april 21). Retrieved from https://prsindia.org/theprsblog/ordinances-promulgated-during-different-lok-sabhas

Rao, B. S. (Ed.). (2021). *The Constitution of India* (Vol. 6th). New Delhi: Low and Justice.

Rao, B. S. (Ed.). (2021). *The Constitution of India* (Vol. 6th). new delhi: Low and Justice.

RESEARCH, P. L. (n.d.). *prsindia.org*. Retrieved from https://prsindia.org/sessiontrack/budget-session-2023/vital-stats

RESEARCH, P. L. (n.d.). *prsindia.org*. Retrieved from https://prsindia.org/sessiontrack/budget-session-2023/vital-stats

SAHAY, P. (2021). Understanding Re-promulgation of Ordinances under Articles 123 and 213 of the Indian Constitution and its Direct Challenge to Parliament's Supremacy in the Area of Law Making. *International Journal of Law Management & Humanities, 4*(2), 564-565.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York, America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *Presidential Legislation in India the law and practice of ordinances.* New York, America: Cambridge University Press.

Shubhankar, D. (2014). *presidential legislation in india the law and prectice in india.* New York, America: Cambridge University Press.

the wire. (2021, april 13). Retrieved from https://thewire.in/government/modi-govt-with-76-ordinances-in-7-years-surpasses-upas-10-year-record-of-61

thehindu.com. (2023, july 17). Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/38-parties-have-confirmed-participation-in-nda-meeting-on-july-18-2023-bjp-chief-jp-nadda/article67090305.ece

thehindu.com. (2023, july 19). Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/picking-the-name-india-for-alliance-opposition-parties-frame-2024-battle-as-bjp-vs-the-country/article67094766.ece

thehindubusinessline. (2022, June 30). Retrieved from https://www-thehindubusinessline-com.translate.goog/data-stories/data-focus/karnataka-passed-most-number-of-bills-kerala-promulgated-most-ordinances-in-2021/article65585691.ece?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc

thehindubusinessline.com. (2023, june 14). Retrieved from www.thehindubusinessline.com: https://www.thehindubusinessline.com/data-stories/data-focus/govts-reliance-on-ordinances-on-a-decline-since-2019/article66964847.ece

theprint.in. (2020, july 07). Retrieved from https://hindi.theprint.in/india/modi-government-has-brought-11-ordinances-amid-corona-crisis-parliament-not-working-but-pace-of-legislature-is-fast/150266/

thewire.in. (20121, april 13). Retrieved from https://thewire.in/government/modi-govt-with-76-ordinances-in-7-years-surpasses-upas-10-year-record-of-61

thewire.in. (2021, april 13). Retrieved from https://thewire.in/government/modi-govt-with-76-ordinances-in-7-years-surpasses-upas-10-year-record-of-61

thewire.in. (2023, April 07). Retrieved from https://thewire.in/government/the-17th-lok-sabha-is-likely-to-be-the-shortest-since-1952

timesofindia. (2006, JULY 8). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/united-progressive-alliance-partners-in-governance/articleshow/1716941.cms

timesofindia. (2013, sep 28). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/rahul-gandhi-trashes-ordinance-shames-government/articleshow/23180950.cms

timesofindia. (2014, july 1). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/16th-Lok-Sabha-wont-have-leader-of-opposition/articleshow/37551926.cms

timesofindia. (2014, july 1). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/16th-Lok-Sabha-wont-have-leader-of-opposition/articleshow/37551926.cms

timesofindia. (2020, NOV 24). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/left-front-govt-in-kerala-to-withdraw-controversial-amendment-to-police-act/articleshow/79389563.cms

www.boomlive.in. (2004, MAY 29). Retrieved from https://www.boomlive.in/17th-lok-sabha-highest-number-of-mps-facing-criminal-charges-since-2004/

www.hindustantimes.com. (2020, sep 11). Retrieved from https://www.hindustantimes.com/analysis/the-ordinance-raj-of-the-bharatiya-janata-party/story-NlVvn0pm6updxwYlj0gSvJ.html

www.hindustantimes.com. (2020, sep 11). Retrieved from https://www.hindustantimes.com/analysis/the-ordinance-raj-of-the-bharatiya-janata-party/story-NlVvn0pm6updxwYlj0gSvJ.html

www.hindustantimes.com. (2020, sep 11). Retrieved from https://www.hindustantimes.com/analysis/the-ordinance-raj-of-the-bharatiya-janata-party/story-NlVvn0pm6updxwYlj0gSvJ.html

www.jagran.com. (2016, MAY 26). Retrieved from https://www.jagran.com/news/national-two-years-of-modi-government-and-21-ordinance-14067846.html

काश्यप, स. (1995). *हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि* (4th ed.). न्यू दिल्ली: नैशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.

दैनिक जागरण. (2023, april 9). Retrieved from https://www.jagran.com/news/national-what-is-an-ordinance-in-what-situations-the-government-uses-it-president-plays-an-important-role-23389974.html

दैनिक जागरण. (2023, april 19). Retrieved from https://www.jagran.com/news/national-what-is-an-ordinance-in-what-situations-the-government-uses-it-president-plays-an-important-role-23389974.html

बसु, आ. द. (2020). *भारत का संविधान एक परिचय* (13th ed.). gurgaon india: LexisNexix.

बसु, आ. द. (2020). *भारत का संविधान एक परिचय* (13th ed.). gurgaon india: LexisNexix.

बसु, आ. द. (2020). *भारत का संविधान एक परिचय* (13th ed.). NEW DELHI: LexisNexis.

सचिवालय, ल. (2015). *राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश 1950-2014* (5th ed.). नई दिल्ली: भारत सरकार मुद्रणालय.